शिक्षा का अधिकार– प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं समाधान

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
1	आनलाईन लाटरी में आवेदन करने वाले बच्चों को प्रायवेट स्कूलों की किस कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता।	**नर्सरी/केजी–1/केजी–2/कक्षा–1 तक** गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूल की कक्षा 1 मे न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जायेगा। यदि स्कूल मे प्री स्कूल शिक्षा दी जाती है तो उसकी प्रवेशित कक्षा नर्सरी केजी–1 केजी–2, मे प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्रायवेट स्कूल मे प्री स्कूल की कक्षाओं और कक्षा 1 मे सीधे प्रवेश होता है तो दोनो मे सीधे प्रवेशित बच्चों की संख्या का न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित सीटो पर प्रवेश होता है।
2	आरटीई के तहत किस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की पात्रता है।	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अर्न्तगत ऐसे बच्चे पात्र होगें जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित होः– **वंचित समूहः–** • अनुसूचित जाति, • अनूसूचित जनजाति, • वनभूमि के पट्टाधारी परिवार, • विमुक्त जाति • निःशक्त बच्चे (मेंडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार) • **HIV** ग्रस्त/प्रभावित बच्चे **कमजोर वर्गः–** • वैध बीपीएल कार्ड/अंत्योदय कार्ड धारी परिवार के बच्चे। • अनाथ बच्चे (राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है)
3	निवास का प्रमाण :–	<u>निवास का प्रमाण पत्र :–</u> ग्राम अथवा वार्ड/पड़ोस/पड़ोस की विस्तारित सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के निम्नलिखित में से दस्तावेज मान्य होंगेः– • मतदाता परिचय पत्र, • राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/समग्र पर्ची, • ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

<table>
<tr><th>क्र</th><th>संभावित प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>रोजगार गारंटी योजना),
• पासपोर्ट/ड्राइविंग लायसेन्स/बिजली बिल/पानी बिल,
• कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।
यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होगें।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>किस उम्र के बच्चों को इसके अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश की पात्रता है।</td><td>आयु के संबंध मे निम्नानुसार पात्रता होगी
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>प्रवेश आवेदन की कक्षा</th><th>न्यूनतम आयु</th></tr>
<tr><td>1</td><td>नर्सरी/के.जी.–1/के.जी–2</td><td>न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">कक्षा–1 मे प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05 पूर्ण हो परन्तु आयु 07 वर्ष से अधिक नही हो।</td></tr>
</table>
आयु की गणना 16 जून 2018 की स्थिति में की जावेगी। प्रवेश हेतु कक्षा एवं उसके लिये निर्धारित न्यूनतम आयु का आवेदक स्वयं ही मिलान कर लें अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा।
1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
2. जहां जन्म,मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886(1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों मे से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जायेगा–
(क) अस्पताल/सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ(ए.एन.एम.) का रजिस्टर रिकार्ड,
(ख) आंागनवाडी का रिकार्ड,
(ग) पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र
बशर्ते कि बच्चे के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाणपत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां कि वह रहता है/रहती है के निर्वाचित किसी प्रधिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के छः माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।</td></tr>
</table>

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
5	अपने ग्राम/वार्ड अथवा उससे लगे हुये ग्राम/वार्ड के स्कूल एवं उनकी कक्षा एवं रिक्त सीटों की जानकारी केसे देख सकते है।	अपने ग्राम/वार्ड के स्कूल एवं उपलब्ध सीट http://www.educationportal.mp.gov.in/RTESR/Lottery/Public/ListOfSchoolsWithVacantSeatForLottery.aspx पर क्लिक कर अपने ग्राम/वार्ड , पडोस तथा विस्तारित पडोस जिनमे वह प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है सूची देख सकते है। केवल इन्ही मे उसे प्रवेश की पात्रता है।
6	आवेदन पत्र केसे प्राप्त होगा एवं कहॉ जमा करना होगा।	**आवेदन केवल ऑनलाइन ही दर्ज होगे, ऑफलाइन आवेदन नही किये जा सकेगे। अतः आवेदको द्वारा किसी भी स्कूल में आवेदन जमा नही करना है।** आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं कर सकते है। **आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल–** **www.educationportal.mp.gov.in/rteportal** पर भी उपलब्ध है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड़ किया जा सकता है। आवेदक निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र दिनांक 08 जून से 23 जून 2018 तक पोर्टल जिसकी लिंक **www.educationportal.mp.gov.in/rteportal** है पर केवल ऑनलाइन ही दर्ज करें। **एक आवेदक द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करेगा।** ऑनलाइन आवेदन में कम से तीन स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम/वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में तीन अशासकीय स्कूल नही है तो तीन से कम आवेदन दर्ज करने की छूट रहेगी।
7	अधिकतम कितने फार्म जमा किये जा सकते है। क्या बच्चे को हर स्कूल के लिये अलग फार्म भरना होगा।	**केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन।** एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। अपने ग्राम/वार्ड, पडोस अथवा विस्तारित पडोंस के प्रर्दशित हो रहे जिन स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चे का प्रवेश दिलाना चाहते है उन्हे एक ही ऑनलाइन फार्म मे च्वाइस के रूप में दर्ज कर सकते है । अतः अलग अलग स्कूलों के लिये अलग अलग फार्म भरने की आवश्यकता नही है।

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
8	ऑनलाइन आवेदन मे भरें गये दस्तावेजो की मूल प्रति की कब आवश्यकता होगी।	**आवंटन के बाद।** आवेदक द्वारा आरटीई कोटा के प्रवेश हेतु अशासकीय विद्यालय में प्रवेश की पात्रता एवं उससे संबंधित भरे गये निर्धारित दस्तावेज प्रवेश के समय प्रस्तुत न करने की स्थिति मे आवेदक का सीट आवंटन स्वतः अमान्य कर दिया जायेगा। **आवंटन के पश्चात निम्न मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने होगेः–** • जिस आरक्षित वर्ग से प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसकी मूल प्रति। • यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जााति वर्ग से है तो जाति प्रमाण पत्र। • वैध वीपीएल कार्ड। • जिस निवास क्षैत्र के स्कूल हेतु आवेदन किया है उसका निवास प्रमाण • जन्म प्रमाण • फोटो • आवंटन पत्र की प्रति
9	**मेरा बच्चा पूर्व से आरटीई के तहत एक प्रायवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन कर रहा है अथवा कर चुका है। क्या में उसका किसी अन्य स्कूल में प्रवेश हेतु फिर से आवेदन कर सकता हूँ।**	**नही।** यदि आवेदक पूर्व में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निशुल्क अध्ययन किया है अथवा कर रहा है तो वह इस हेतु पुनः आवेदन हेतु पात्र नही है।
10	**वर्तमान में आधार नंबर नही है तो क्या ऐसे बच्चे आवेदन कर सकते है।**	हॉ। यदि आवेदक का आधार नंबर ऑनलाइन आवेदन करते समय नही है तो वह वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है परन्तु यदि उसका लॉटरी के द्वारा चयन होता है तो उसे आधार नंबर सत्यापन के समय अनिवार्य है। अतः प्रवेश के समय आधार अनिवार्य है। अतः यदि अभी बच्चे का आधार नंबर नही है, तो आवेदन कर सकता है किन्तु प्रवेश के पूर्व अनिवार्य रूप सें आधार नंबर तैयार करा लें।
11	**बच्चे का आधार नंबर बना है तो क्या करने की आवश्यता है।**	यदि बच्चे का आधार कार्ड बन चुका है तो वही नाम ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किया जायें। यदि बच्चे का आधार कार्ड बहुत पुराना है तो आधार अपडेशन केन्द्र में जाकर बायोमेट्रिक अपडेट करा लें जिससे आधार सत्यापन में परेशानी न हो।
12	ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रवेश केसे होगा।	**पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी प्रकिया से एक ही दिन में पूरे प्रदेश में।** पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कर लॉक किये गये पात्रतानुसार आवेदनों को ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। केन्द्रीकृत, रेण्डमाइजेशन, पारदर्शी तरीके माध्यम से सार्वजनिक स्थल पर जन सामान्य के समक्ष ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूलों में सीट का आवंटन किया

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
		जायेगा। **लॉटरी की कार्यवाही केवल एक चरण में ही होगी। अतः आवेदको को अधिकतम 10 स्कूल के विकल्प चयन की सलाह दी जाती है। प्रवेश आवंटन केवल एक ही चरण में होगे।**
13	बच्चे के प्रवेश के बाद क्या फीस देना होगी।	**नही ।** **इन प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति शासन द्वारा निर्धारित प्रति बालक व्यय अथवा स्कूल द्वारा ली जाने वाली वास्तविक शुल्क मे से जो भी न्यूनतम हो, का भुगतान जिले से सीधे स्कूल के खातें में किया जाता है। स्कूल द्वारा इन बच्चों से कोई फीस नही ली जाती है।**
14	ऑनलाइन फार्म जमा करने के बाद ओटीपी प्राप्त हुआ है इसका क्या करना है। यह कितने समय के लिये वैध है।	ओटीपी 12 घंटें तक वैध है। आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन फार्म दर्ज करने के उपरांत पालक के फार्म मे दर्ज मोबाइल नंबर–1 पर एसएमएस द्वारा एक ओटीपी पासवर्ड प्राप्त होगा इसको दर्ज करने के उपरांत आवेदन की पुष्टि कर लॉक करना अनिवार्य हैं, तभी आवेदन पत्र सेव होगा एवं इन्ही को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। अतः सलाह दी जाती है कि फार्म भरते समय मोबाइल अपने पास चालू करके रखें। इसके बाद आवेदन पत्र की पावती प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखे आवंटन पत्र निकालते समय इसकी आवश्यकता होगी।
15	फार्म में भरें गये मोबाइल नंबर –1 की क्या और कब आवश्यकता होगी।	• फार्म में भरें गये मोबाइल नंबर–1 की आावश्यकता फार्म को लॉक करने हेतु ओटीपी प्राप्त करने हेतु होगी तभी आवेदन लॉक हो सकेगा। • आवंटन के पश्चात इसी मोबाइल पर सूचना भेजी जायेगी। • आवंटन पत्र डाउनलोड करते समय मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। अतः मोबाइल नंबर–1 में क्रियाशील मोबाइल नंबर ही दर्ज किया जाये।
16	फार्म के ऑनलाइन भरते समय कोन से दस्तावेज अपलोड करना है।	जिस आरक्षित समूह के माध्यम से प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है उसकी मूल प्रति को स्केन कर पीडीएफ बनाकर अपलोड करना अनिवार्य है। उदाहरण स्वरूप यदि बीपीएल कोटा से आवेदन किया है तो वैध बीपीएल कार्ड को स्केन कर पीडीएफ बनाकर अपलोड किया जाये।
17	उम्र का प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में क्या किया जा सकता है।	जहॉ जन्म, मृत्यू तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886(1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिये निम्न इस संबंध में निम्नानुसार दस्तावेज मान्य किये जायेंगे। जहॉ जन्म, मृत्यू तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886(1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिये निम्न इस संबंध में निम्नानुसार दस्तावेज मान्य किये

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
		जायेंगेः– 1-अस्पताल, सहायक नर्स तथा ए.एन.एम. का रजिस्टर रिकार्ड 2-आंगनवाड़ी का रिकार्ड 3-पालक या अभिभावक द्वारा आयु का स्व.घोषणा पत्र बर्शेते कि बालक के पालक या अभिभावक को बालक की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना
18	जाति एवं आय प्रमाण पत्र की बाध्यता है ऐसे पालक क्या करें जिनके पास ये प्रमाण पत्र नहीं हैं	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित वर्ग के होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
19	यदि आवेदक आवेदन करने के उपरांत अपना एप्लीकेशन आईडी भूल गया है तो केसे प्राप्त कर सकते है?	आवेदन में पंजीकृत मोबाइल और पहले नाम से आवेदन फार्म खोजें के माध्यम से आवेदक अपना एप्लीकेशन आईडी प्राप्त कर सकते है। इसके लिये आवेदक को मोबाइल नंबर, अपना प्रथम नाम, जन्मतिथि दर्ज करना होगी।
20	किसी वार्ड गाव में स्थित स्कूल में सीट्स रिक्त ना होने की स्थिति में बच्चे कहा प्रवेश ले सकते है।	किसी वार्ड या गांव में निःशुल्क प्रवेश हेतु प्रायवेट स्कूल में सीट रिक्त न होने की स्थिति में बच्चे पड़ोस,विस्तारित पड़ोस के स्कूलों में सीट रिक्त होने की स्थिति में प्रवेश ले सकते हैं। पड़ोस की सीमा से अभिप्राय है ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो तो, तथा नगरीय क्षेत्र मे वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम यदि कोई हो तो। इसी प्रकार विस्तारित पडोस की सीमा से अभिप्रेत है उपरोक्तानुसार पारिभाषित पडोस की सीमा के पडोस क्षेत्र।
21	क्या मोबाइल नंबर–2 अनिवार्य है	नही मोबाबल नंबर–2 अनिवार्य नही है।
22	फोटो को किस टाइप मे अपलोड़ करना है।	बच्चे की फोटो को JPG में अपलोड़ किया जाना है।
23	आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो गयी है तो केसे सुधार सकते है	आवेदन मे यदि कोई त्रुटि हो गयी है तो उसे त्रुटि सुधार आप्शन के माध्यम से निर्धारित दिनांक तक सुधारा जा सकता है। स्कूलों के विकल्प भी परिवर्तित किये जा सकते है।
24	यदि किसी प्रकार की समस्या है तो कहा से सहायता प्राप्त कर सकते है।	किसी प्रकार की समस्या होने पर विकासखंड के बीआरसी कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ईमेल अथवा दूरभाष अथवा स्वयं जाकर सहायता प्राप्त कर सकते है